न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 26 / 2019

1. आसूवी पत्नि जैकम
2. साजिद पुत्र जैकम
3. नजराना पुत्री जैकम जाति मेव निवासी ग्राम घोंसिंगा तहसील पहाडी
4. वाजिद पुत्र जैकम
5. रूकईया पुत्री जैकम
6. अरवाना पुत्री जैकम नाबालिगान वलिसरपरस्त माता आसूवी पत्नि जैकम जाति मेव निवासी ग्राम घोंसिंगा तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

वनाम

1. जैकम पुत्र कोकलया जाति मेव निवासी ग्राम घोंसिगा तहसील पहाडी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :- ~~21.04.2021~~ 27.07.2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 359 / 0.32, 1757 / 460 / 0.26, 271 / 0.11, 272 / 0.11, 1326 / 0.31, 1327 / 0.15, 1328 / 0.15, 1426 / 0.22, 1430 / 0.15, 1432 / 0.35, 1436 / 0.15, 1635 / 318 / 0.55, 1638 / 265 / 0.02, 1704 / 270 / 0.05, 2018 / 318 / 0.13, 2092 / 1428 / 0.29, बांके ग्राम घोंसिगा तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया पैतृक आराजी है जिस में प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार है। प्रार्थीगण आराजी मुत0 पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी जैकम ने करीब 10 वर्ष पूर्व जमीला के साथ दूसरी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

शादी कर ली है। इसलिए प्रार्थी सम्पूर्ण आराजी को अपनी दूसरी पत्नि के नाम कराना चाहता है। जिसकी बाबत अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को दिनांक 25.03.2019 को धमकी दी है कि मैं सम्पूर्ण आराजी को रहन वय मुन्तकिल करके रहूँगा। यदि अप्रार्थी अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण के अधिकारो पर कुठाराघात होगा और नुकसान अजीम होगा । जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से नहीं हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थी को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता व पति जैकम की खातेदारी की आराजी है। जिसे प्रार्थीगण वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रार्थीगण के पिता व पति जैकम ने दूसरी शादी करली है। जिसके बहकावे में आकर आराजी को खुर्दबुर्द करना चाहता है। आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी जैकम का नाम दर्ज होता चला आ रहा है जो कतई गलत खिलाफ कानून व कब्जा है। प्रार्थीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 28.03.2019 को नकल जमाबन्दी मिलने पर हुई है। विधि वजह प्रार्थीगण डिक्लेशन इस आशय का जारी करा पाने के अधिकारी है कि वे अपने दादा कोकलया की समस्त आराजी में वाहिस्सा बराबर के खातेदार है तथा अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पाने के अधिकारी है। प्राईमा फैसाई केस सुविधा का सन्तुलन , अपरमित क्षति भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होती है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया । जबाब इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी जैकम के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर वह वाहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर अप्रार्थी जैकम का कब्जा व काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 जैकम लकवा की बीमारी से ग्रस्त हो गया है जिसके इलाज के लिये कुछ रूपयों की आवश्यकता थी। आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज कराना संभव नहीं रहा जिस कारण वह अपनी आराजी को बैंक में रहन रखकर कुछ रूपये लेकर अपना इलाज कराना चाहता था। विवादित आराजी अप्रार्थी जैकम के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसमें पिता व पति के जीवन काल में वारिसान का कोई अधिकार व हक प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थीगण का आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और ना ही आराजी किसी के हिस्से में आज तक भी काश्त नही किया है। तो वेवजह मुझ अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील फरीकने सुनी गई । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार है प्रार्थीगण आराजी मुतदाविया पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 जो कि प्रार्थीगण का पति/पिता है ये करीब 10 साल पूर्व दूसरी शादी जमीला से कर ली है। इसिलए अप्रार्थी सम्पूर्ण आराजी को अपनी दूसरी पत्नि जमीला के नाम करना चाहता है। जिसकी बाबत उसने दिनांक 25/03/19 को प्रार्थीगण को धमकी दी है। अगर अप्रार्थी इसमें सफल हो गया तो प्रार्थी के हित पर कुठाराघात होगा। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण में निहित है।
2. **सुविधा का सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण का हित निहित है । अगर अप्रार्थी द्वारा भूमि का अन्य लोगो को बेचान होता है तो अप्रार्थी की तुलना में प्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में निहित है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला मूल वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 359/0.32, 1757/460/0.26, 271/0.11, 272/0.11, 1326/0.31, 1327/0.15, 1328/0.15, 1426/0.22, 1430/0.15, 1432/0.35, 1436/0.15, 1635/318/0.55, 1638/265/0.02, 1704/270/0.05, 2018/318/0.13, 2092/1428/0.29 हैक्टर बांके ग्राम घोंसिंगा तहसील पहाडी पर राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 27/07/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner